BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 30 अगस्त 2023

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्यारोपी को आजीवन कारावास व 07 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र शिवकुमार शर्मा निवासी ग्राम सिरोधन थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2013 में अपने गांव निवासी विपुल शर्मा की गोली मारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 17.01.2013 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 38/2013 धारा- 302 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 29.04.2013 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 30.08.2023 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0-15, बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार शर्मा को आजीवन कारावास व 07 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री प्रेवन्द्र सिंह लोधी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर